राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3186/2022

डॉ. विद्याधर बाजिया —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रुप–2, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं।
5. डॉ. कमलेश कुमार, कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि रोग) राजकीय बीडीके चिकित्सालय, झुंझुनूं।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.08.2022
आदेश की दिनांक 01.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपोलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय बीडीके चिकित्सालय, झुन्झुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का पदस्थापन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय बीडीके चिकित्सालय, झुन्झुनूं में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2015, 08.09.2015, 28.10.2015 (अनुलग्नक–2 से 4) द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर ग्रेड पे 8700 तथा 20 वर्ष की सेवा का अनुभव होने वाले कार्मिक चिकित्सा अधिकारी को ही प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जा सकता है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.03.2021 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी को जिला चिकित्सालय झुन्झुनूं का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी नियुक्त करते हुए कार्यालय अध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण की शक्तियां प्रदान की गई थी। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के

आदेश दिनांक 13.06.2014 (अनुलग्नक–6) के द्वारा वर्ष 2001–02 की रिक्ति के विरूद्ध प्रमुख विशेषज्ञ के पद पर ग्रेड पे 8700 में पदोन्नत किया गया था। निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.08.2022 (अनुलग्नक–7) द्वारा कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर रिडेजीग्नेट किया गया था। राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 में कनिष्ठ विशेषज्ञ को ग्रेड पे 6600 दिए जाने का प्रावधान है (अनुलग्नक–8)। निजी प्रत्यर्थी की ना तो वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति हुई है। प्रत्यर्थीगण ने विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 से 2 पदोन्नत उच्च पद पर कार्यरत होने के बावजूद वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी आलोच्य आदेश के द्वारा निजी प्रत्यर्थी को पदस्थापित किया है तथा अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी के अधीन कार्य करेगा, जो पदोन्नति सेवा नियमों के विपरीत, अवैध, अनुचित तथा मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 10.08.2022 (अनुलग्नक–1) को प्रत्यर्थी संख्या–5 की सीमा तक निरस्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बीडीके चिकित्सालय, झुन्झुनूं में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर चार्ज सहित यथावत पदस्थापित रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया कि आदेश दिनांक 10.08.2022 द्वारा डॉ. कमलेश कुमार कनिष्ठ विशेषज्ञ आर्थो को पीएमओ का चार्ज प्रशासनिक एवं लोकहित में सक्षम स्तर से अनुमोदनापरांत जारी किये गये है। निदेशालय के आदेश दिनांक 27.02.2015, 08.09.2015, 28.10.2015 में पीएमओ के लिए वांछित अनुभव एवं योग्यता में पीजी योग्यताधारी एवं गत 5 वर्ष की एसीआर उत्कृष्ट/बहुत अच्छा होना तथा किसी भी प्रकार की विभागीय जांच/आरोप पत्रादि/वित्तीय अनियमितता एवं गबन का आरोप नहीं होना चाहिए का उल्लेख है। अपीलार्थी के पद के विरूद्ध पद का दुरूपयोग करने की शिकायत विचाराधीन है। सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अनुसार विभागाध्यक्ष को अपने अधीनस्थ किसी भी राजपत्रित अधिकारी को सरकार के वित्तीय नियमों के प्रयोजन के लिए कार्यालय प्रमुख के रूप में घोषित करने की शक्ति है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्था संख्या–5 के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया कि सामान्य वित्तीय लेखा नियम 3(a)(1) के अनुसार विभागाध्यक्ष को अपने अधीनस्थ किसी भी राजपत्रित अधिकारी को सरकार के वित्तीय नियमों के प्रयोजन के लिए कार्यालय प्रमुख के रूप में घोषित करने की

शक्ति है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.08.2022 (अनुलग्नक–आर/1) द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को जिला चिकित्सालय झुन्झुनूं का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी नियुक्त करते हुए कार्यालय अध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण की शक्तियां प्रदान की गई थी। प्रत्यर्थी विभाग के परिपत्र दिनांक 15.03.2022 (अनुलग्नक–आर/2) के अनुसार अपीलार्थी का नियमानुसार पदस्थापन किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के परिपत्र दिनांक 28.10.2015 की पालना में अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट विचाराधीन है। (अनुलग्नक–आर/4)। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 (अनुलग्नक–आर/6) के अनुसार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का पद पदोन्नति का पद नहीं केवल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद पदोन्नति का पद है, जो अलग है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 के जवाब का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2015, 08.09.2015, 28.10.2015 के विरूद्ध जाकर निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर विभाग के निर्देशों के विपरीत जाकर बिना योग्यता के जिला चिकित्सालय का प्रमुख बनाया गया है, जिसके कारण अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी के अधीन कार्य करना पडेगा तथा अपीलार्थी की एसीआर निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 भरकर प्रेषित करेगा, जो न केवल सेवा नियमों के विरूद्ध, बल्कि विभाग के निर्देशों के विपरीत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.03.2022 केवल मात्र ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व संयुक्त निदेशक के लिए जारी किया गया आदेश है, जो अपीलार्थी के प्रकरण पर लागू नहीं होता है। निजी प्रत्यर्थी की प्रमुख विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति नहीं हुई है तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 ग्रेड पे 6600/– में कार्यरत है। नियमानुसार कनिष्ठ विशेषज्ञ को वरिष्ठ विशेषज्ञ का एचओडी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर ना तो पदस्थापन किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। निजी प्रत्यर्थी ने ऐसे किसी भी विभाग के सेवा नियमों का उल्लेख अपने जवाब में नहीं किया है, जिससे निजी प्रत्यर्थी का यह अधिकार हो कि वह प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापित हो सके। उक्त आधार पर भी निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का जवाब अस्वीकार कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी, प्रत्यर्थी विभाग एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रमुख रूप से आलौच्य आदेश दिनांक 10.08.2022 (अनुलग्नक–1) तथा आदेश दिनांक 29.08.2022 (अनुलग्नक–आर/1) प्रत्यर्थी संख्या 5 को कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने तथा आहरण वितरण अधिकारी की शक्तियां प्रदान रखने बावत जारी आदेश के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रशासनिक जांच विचाराधीन है तथा प्रथम सूचना रिर्पोट (FIR) भी दर्ज है। अतः आलौच्य आदेश दिनांक 10.08.2022 (अनुलग्नक–1) तथा आदेश दिनांक 29.08.2022 (अनुलग्नक–आर/1) चिकित्सालय के कार्य को सुचारू रूप से संचालित किये जाने तथा प्रशासनिक अत्यावश्यकता (Administrative Exigency) के कारण ही जारी किये गये हैं। तथा उक्त दोनों आदेश ही सक्षम स्तर से जारी किये गये हैं तथा नियमों में प्रदत शक्तियों के अनुसार ही जारी किये गये तथा किसी प्रकार की दुर्भावना की स्थिति विद्यमान नहीं है। अपीलार्थी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसके हितों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पडेगा और किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश 10.08.2022 तथा आदेश दिनांक 29.08.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन एवं बलहीन होकर खारिज योग्य होने के कारण एतद्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक .....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य